अति महत्वपूर्ण

संख्या–1448 /60–3–2015–34(सा)/15

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला संचालन समिति,
राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊ:: दिनांक:: 05 अगस्त, 2015

विषयः– उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर को देय धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 दिनांक 06 फरवरी 2015 को अधिसूचित की गयी है तथा अधिसूचना संख्या–1242/60–3–2015 दिनांक 18.06.2015 के द्वारा उक्त नियमावली में द्वितीय संशोधन किया गया है। सन्दर्भगत अधिसूचना पत्र संख्या–1246/60–3–2015 दिनांक 18.06.2015 के माध्यम से समस्त संबंधित अधिकारियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भी प्रेषित की गयी है। कोष नियमावली के इस द्वितीय संशोधन के द्वारा कोष से संबंधित प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिये कोष धनराशि का 01 प्रतिशत आरक्षित रखे जाने का प्राविधान किया गया है।

2. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा कोष के अन्तर्गत निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा हैः–

(1) **'Medico Legal Protocols For Victims Of Acid Attack And Sexual Violence'** – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ के सहयोग से तैयार किये गये Medico Legal Protocols पर सभी जिलों के मेडिकल डॉक्टर्स/पैरा मेडिक्स का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब तक लगभग 200 चिकित्सकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है। उनके द्वारा अब विभिन्न जिलों में अन्य डॉक्टर्स/पैरामेडिक्स को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(2) **कोष के साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण–** कोष का साफ्टवेयर, जो एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किया गया है, के संचालन पर व्यापक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रत्येक जनपद पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डी0आई0ओ0) को मास्टर ट्रेनर के रूप में नामित किया गया है। इनके द्वारा जनपद के सभी सहभागी विभाग यथा–पुलिस, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, अन्य विभागीय अधिकारियों जो जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला संचालन समिति द्वारा नामित किया गया हो, को कोष के साफ्टवेयर संचालन के संबंध में प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्कशॉप/कान्फ्रेंस में जनसामान्य के लिये डी0आई0ओ0 (जिला सूचना विज्ञान अधिकारी) द्वारा साफटवेयर के संचालन के संबंध में जानकारी दी जायेगी।

वार्ताकार के रूप में मास्टर ट्रेनर्स को नियमानुसार रू0–500/– की धनराशि प्रति सेशन (एक घण्टे) उपलब्ध करायी जायेगी एवं इस हेतु रू0–15,000/– की धनराशि प्रति जनपद के लिए निर्धारित की जाती है। मास्टर ट्रेनर्स पर उपरोक्तानुसार होने वाले व्यय का वहन उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से किया जायेगा। उक्त धनराशि निदेशक, महिला कल्याण के माध्यम से जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1448 (1)/60–3–2015–तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, महिला कल्याण विभाग/विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग/चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य /महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश।

9. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी / सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, उ0प्र0।
10. डा0 सौरभ गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 (नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर) लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि सभी जिला सूचना विज्ञान आधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
11. कोष कार्यालय, चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव